न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 08/2021

लक्ष्मण पुत्र चरन सिंह जाति गुर्जर निवासी खेरीडांग तहसील बयाना जिला भरतपु

.....अपील

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 वि आदेश दिनांक 18.02.2021 तहसीलदार बयाना। पत्रावली सं 04/2021 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लक्ष्मण अन्त धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक रैस्पो0सं0 1

निर्णय

दिनांक : 28.07.20

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आ तहसीलदार बयाना दिनांक 18.02.2021 पेश की गई है। तहत न्यायालय अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अति मानते हुये आराजी खसरा नम्बर 1722 रकवा 5.25 हैक्ट0 वाकै ग्राम खेरीडांग सिवायचक भूमि से बेदखल कर पैनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नहीं कराया है.

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि खण्ड पर अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है, इस बाबत पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को विवादित भूमिखण्ड को नापकर कभी भी अवगत नहीं कराया है। अपीलान्ट को नोटिस मिलने पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में यह अन्डरटेकिंग देदी थी कि यदि अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो उसे चिन्हित कर दे, वह मौके पर से कब्जा हटाने को तैयार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 90 दिन के सिविल कारावास की सजा देने में कानूनी भूल की है, पत्रावली पर इस प्रकार कोई रिकार्ड नहीं है, जिससे यह सावित होता हो कि अपीलान्ट को पहले वास्तव में कभी मौके से बेदखल कर दिया गया हो व बाद पुनः सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया हो,उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी अवैधानिक रूप से माना गया है,अधीनस्थन्यायालय ने अपीलांट का पश्चातवर्ती कब्जा मानकर सजा देने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने तक का कोई मौका नहीं दिया गया है। पटवारी से जिरह करने का कोई मौका भी नहीं दिया गया है। पूर्व में पारित तथाकथित आदेश की कॉपी पेश नहीं की है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर स्वयं ने अतिक्रमण की पुष्टि नहीं की है। मात्र पटवारी के बयान पर विश्वास करके अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सजा कर दी है, आदेश अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी पुष्टि तहत अदालत में मुकदमा नम्बर 148/2020 निर्णय दिनांक 11.09.2020 से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी वेदखल किया गया था इस तरह यह साबित हो जाता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत हैं। अन्त में पैराकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1722 रकवा 5.25 है0 में से 0.40 है0 ग्राम खेरीडांग किस्म सिवायचक में सरसों (रबी) काश्त किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल एवं पैनल्टी तथा 90 दिवस की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी है अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में दायर मुकदमा संख्या 147/2020 से हो जाती है जिसका निस्तारण दिनांक 11.09.2020 को किया जाकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आ जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पेश नहीं किया जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों को आधारहीन होने की पृष्टि करते हो। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर की मूल पत्रावली वापिस लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)